

वर्धमान महावीर खुला विष्वविद्यालय , कोटा

(कुलसचिव कार्यालय)

निविदा प्रपत्र

वर्ष 2010-11 में विष्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य कार्यो हेतु कोटा एवं कोटा के बाहर के स्थानों पर यात्रा के लिये टैक्सी किराये पर लेने के लिये निविदा :-

निविदा सूचना संख्या..... दिनांक

निर्धारित अमानत राशि रूपये.....बैंक ड्रापट क्रमांक.....दिनांक.....

मैं/हम आपकी उपरोक्त निविदा सूचना में अंकित शर्तों से सहमत हूँ/है निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सूची में प्रदर्शित शर्तों से सहमत हूँ/है।

1. निविदादाता का नाम :.....
2. (अ) पूर्ण पता :.....
(ब) दूरभाष संख्या :.....
3. फर्म का नाम :.....
4. फर्म स्थापना का वर्ष :.....
5. कुल उपलब्ध वाहनों की संख्या :.....
6. सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों का कार्यानुभव :.....
7. आयकर दाता है या नहीं यदि हाँ तो आयकर पंजीयन प्रमाण पत्र/पैन कार्ड संलग्न करें। :.....
8. उक्त कार्य हेतु हमारी दरें निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

क्र०	आपूर्ति किये जाने वाले सं० वाहन का विवरण	दरें प्र.किमी.मय (फयूल/आयल) राजस्थान में	कोटा लोकल की दरें	हाल्टिंग चार्जेंज प्रति रात्रि
------	--	--	-------------------	--------------------------------

डीजल-(अ)

1. टाटा सूमो -नॉन ए.सी.
2. टाटा इण्डिका- ए.सी.
3. टाटा इण्डिका- नॉन ए.सी.
4. क्वालिस - ए.सी.
5. क्वालिस - नॉन ए.सी.
6. बोलेरो - ए.सी.
7. बोलेरो- नॉन ए.सी.
8. टवेरा - ए.सी.
9. टवेरा - नॉन ए.सी.
10. मिनी बस- ए.सी.
11. मिनीबस- नॉन ए.सी.

अन्य नियम व शर्तें :-

1. किराया पर उपलब्ध कराये गये वाहन में पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेन्ट की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
2. किराया पर उपलब्ध कराये गये वाहन में होने वाली टूट फूट/ मरम्मत की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
3. वाहन चालक की पूर्ण व्यवस्था फर्म द्वारा की जावेगी।
4. उपरोक्त दरें एक वर्ष तक मान्य होगी यह अवधि आपसी समझौते से अधिकतम दो माह तक बढ़ायी जा सकती है।
5. वाहन मॉडल वर्ष 2007 के बाद के ही उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. विष्वविद्यालय की निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न उल्लेखित शर्तें 1 से 20 तक स्वीकार हैं।
7. वाहन टैक्सी न. का होगा। अर्थात् परिवहन विभाग में टैक्सी के रूप में पंजीकृत होगा।
8. कोटा से बाहर के लिए न्यूनतम 250 कि.मी. का प्रतिदिन चार्ज देय होगा।
9. कोटा में स्थानीय उपयोग के लिए न्यूनतम 100 कि.मी. (प्रति 12 घण्टों के लिए) एवं अतिरिक्त घण्टों पर अलग से तयशुदा चार्ज देय होंगे।
10. फर्मों द्वारा विष्वविद्यालयों में दी गई सेवाओं के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
11. फर्म द्वारा प्रतिवर्ष के टर्न ओवर एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने होंगे जिससे उसकी प्रतिष्ठित होने का अनुमान किया जा सके।

हस्ताक्षर निविदादाता

टैक्सी आपूर्ति हेतु निविदा की शर्तें

- 1- वाहन आपूर्ति के सम्बन्ध में किया जाने वाला अनुबन्ध प्रथमतः एक वर्ष के लिये अथवा दिनांक 31.3.2010 जो भी पहले होगा के लिए होगा परन्तु सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कम भी किया जा सकता है । इसी प्रकार अनुबन्ध को समय-समय पर आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकेगा ।
- 2- वाहन की आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्षकार को वाहन बताये गये स्थान एवं समय पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा ।
- 3- यदि वाहन उपलब्ध नहीं करवाया गया अथवा वाहन बिगडने या खराबी आ जाने एवं गंतव्य स्थान पर नहीं पहुचने की स्थिति में क्षतिपूर्ति के रूप में फर्म द्वारा कार्यालय में जमा घोरोहर राशि में से रुपये 500/- दण्ड स्वरूप प्रथम पक्षकार द्वारा कटौती की जा सकेगी या पूर्ण क्षति जो भी अधिक हो, देने के लिए द्वितीय पक्षकार फर्म उत्तरदायी होगी ।
- 4- किसी प्रकार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र कोटा होगा
- 5- विष्वविद्यालय अनुबन्ध को किसी भी समय एक माह के पूर्व नोटिस पर समाप्त कर सकता है ।
- 6- बिल दो प्रतियों में ड्राइवर ड्यूटी स्लिप एवं बिल पर उपयोगकर्ता कार्मिक /अधिकारी द्वारा यात्रा सत्यापन सहित बिल दो प्रतियों में मय मूल कार्यादेश के साथ फर्म को प्रस्तुत करना होगा ।
- 7- प्रत्येक बिल पर आयकर की स्वीकृत दर से टी.डी.एस. काटा जायेगा ।
- 8- राजस्थान के बाहर यात्रा किये जाने की स्थिति में कहीं भी लगने वाले टैक्स का भुगतान द्वितीय पक्षकार अनुबंधित फर्म को करना होगा ।
- 9- उपलब्ध करवाई जाने वाली टैक्सिया वर्ष 2007 या उसके बाद के मॉडल की होगी ।
- 10- निविदा शर्तों में उल्लेखित सामान्य वित्तीय एवं लेख नियमों की शर्तें भी मान्य होगी ।
- 11- 24 घण्टे की गणना वांछित स्थान पर वाहन पहुँचने के समय से की जायेगी । कोटा से बाहर के लिये प्रतिदिन 300 कि.मी. न्यूनतम देय होगा । कोटा में स्थानीय उपयोग पर अनुमोदित दरों के अनुसार 100 किमी (प्रति दस घण्टा) एवं अतिरिक्त पर रु 25/- प्रति घण्टा की दर से भुगतान देय होगा जो कि कार्यादेश में दी गई सम्बंधित वाहन की निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा ।
- 12- द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रयोग में लिये जाने वाले वाहन /टैक्सी का हॉल्टिंग चार्ज कार्यालय आदेश एवं निविदा शर्तों के अनुसार प्रति रात्री देय होगा । 24 घण्टे में दिन से तात्पर्य प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं रात्रि से तात्पर्य रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक होगा ।
- 13- चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना आवश्यक होगा । इसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगी ।
- 14- वाहन टैक्सी नम्बर वाला ही उपलब्ध करवाना होगा तथा वाहन जिस रूप में मांगा जायेगा उसी अनुरूप द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध करवाना होगा ।
- 15- इस अनुबन्ध पत्र से प्रथम एवं द्वितीय पक्षकारों के वैध प्रतिनिधि अभिहस्तांकित भी बाध्य होंगे एवं बाध्य समझे जायेगे ।